Sem = II
Paper - IV
Unit - I

अध्यापक - शिक्षा का अर्थ बताते हुए उसकी क्या आवश्यकता है? विवेचना कीजिए।

अथवा

अध्यापक - शिक्षा क्या है? या इसकी क्या अवधारणा है? विस्तार से समझाइये।

अथवा

शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक - शिक्षा की आवश्यकता क्यों है?

परिचय :-

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि अध्यापन को सर्वोत्तम व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है, लेकिन विडम्बना यह है कि अध्यापन सबसे अनाकर्षित व्यवसाय के रूप में देखा जाता है तथा समाज में अध्यापक की स्थिति सम्मानजनक नहीं है। अपने देश में अध्यापक शिक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा अध्यापन

को फिर वह सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सकती है। सम्भवतः यही कारण है अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा के स्वरूप पाठ्यक्रम की प्रस्तुति हेतु संस्तुति की जाती है अध्यापक शिक्षा में लगायी गयी वित्तीय पूंजी अच्छा लाभांश देती है। क्योंकि आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जब हम करोड़ों लोगों की शिक्षा में सुधार की तुलना से नापते हैं, तो ये आवश्यक संसाधन उत्पादन की तुलना में बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। अन्य प्रभावों की अनुपस्थिति में एक अध्यापक उसी परम्परावादी ढंग से अध्यापन करता है और करना चाहता है जिस ढंग से उसके प्रिय अध्यापक द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में इसी तरह की परम्परावादी अध्यापक की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। जबकि आज अनुदेशन के नवीन एवं गत्यात्मक विधियों की आवश्यकता है और इस तरह के ये दृष्टिकोण प्रगति को बाधित करते हैं और इसे प्रभावपूर्ण व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है जो अध्यापक को अध्यापन कार्य के लिए प्रेरित करे और उसके भावी विकास के लिए आधार का कार्य करे।

अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अर्थ :- दोनों प्रत्ययों के अलग अलग अर्थ होते हैं। प्रशिक्षण शब्द का अर्थ संकुचित है जबकि शिक्षा शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक होता है। शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षण अनुदेशन एवं प्रशिक्षण की क्रियायें सम्मिलित होती हैं।

अध्यापक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिये साथ ही साथ उसे अध्यापन की विधियों एवम् प्रविधियों तथा उन घटकों का भी ज्ञान होना चाहिये जो अध्यापन को प्रभावित करती हैं। अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण के लिये यह जानना आवश्यक होता है कि कार्य की प्रकृति के अनुसार ज्ञान का कौन सा भाग आवश्यक है।

अभिवृत्ति :- (Attitude)

अपने कार्य के संवेगीकृत मानसिक प्रवृत्ति का नाम ही अभिवृत्ति है। इसमें किसी वस्तु के प्रति भाव निहित होता है और यही भावात्मक पहलू इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक अध्यापक जिसकी अभिवृत्ति अध्यापन पक्ष में है छात्रों को अधिक अधिगम कराने में सहायक होती है।

2. कौशल (Skill) :— कौशल वे विशेष व्यवहार अथवा कार्य है जिनकी आवश्यकता व्यक्ति को किसी कार्य विशेष को सम्पादित करने में सहायता करते है। इसका सम्बन्ध व्यक्ति के क्रियात्मक पहलू से है जिस ढंग से वह कार्य करता है वह कौशल है।

3 व्यवहार का ढंग (Way of Behaviour) :— किसी कार्य के ढंग को व्यवहार के ढंग के नाम से जाना जाता है और कार्य करने का ढंग एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए अलग-अलग होता है।

4 शिक्षा (Education) :— वे समस्त क्रियाकलाप जो जीवन कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान, नैतिक मूल्यों और बोध के विकास से सम्बन्धित हो, मिलकर करके शिक्षा का बोध कराते है। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति का वैयक्तिक विकास ही नहीं, कुछ सामान्य प्रकृति के गुण जिनकी हर व्यक्ति का उसके व्यवसाय के सम्बन्ध में आवश्यकता होती है और उन्हीं के द्वारा यह समायोजित एवं सामंजस्य युक्त

जीवन जीता है, ये सभी गुण शिक्षक के द्वारा ही विकसित किये जाते हैं।

शिक्षा एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यवसाय विशेष की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यद्यपि यह ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति पर भी बल देती है जो सामान्य प्रकृति से सम्बंधित है तथा जिनका उपयोग एक से अधिक व्यवसाय में किया जा सकता है, तथा यह विस्तृत समुदाय एवम् समाज में दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति का जो अपने वातावरण में रुचि रखता है उसका विकास करती है।

प्रशिक्षण और शिक्षा में अन्तर :-

ग्लेसर ने अपनी पुस्तक 'प्रशिक्षण अनुसंधान एवं शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अनुदेशन तकनीकी' पर शिक्षा एवम् प्रशिक्षण में अन्तर किया है।

1. उद्देश्य की विशिष्टता की मात्रा।
2. व्यक्तिगत भेदों की अल्पता एवं अधिकता।

प्रशिक्षण के उद्देश्य अति विशिष्ट होते हैं तथा व्यक्तिगत भेदों को कम करने का प्रयास करते हैं जबकि शैक्षिक उद्देश्य अति सामान्य होते हैं और व्यक्तिगत विभेदों को बढ़ावा देते हैं।

5

शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अन्तर

शिक्षा Education	प्रशिक्षण Training
1 जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान तथा नैतिक मूल्यों का विकास से सम्बन्धित क्रियाओं पर शिक्षा अधिक बल देती है।	1 किसी कार्य के उचित सम्पादन के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं व्यवहार के विकास पर प्रशिक्षण बल देता है। यह व्यवहार एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए अलग-2 होते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करते हैं तो हम उन कौशलों का विकास करते हैं जो उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा अध्यापक होने आवश्यक है।
2. शिक्षा का उद्देश्य बच्चों एवं प्रौढ़ों को आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करना है जो उन्हें उन सामाजिक परम्पराओं एवं विचारों का बोध कराए, जो उस समाज को प्रभावित	प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी व्यवसाय विशेष में निपुणता प्राप्त करना है जिसके लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है प्रशिक्षण का संबंध जन अधिगम से होता है ताकि

करते हैं साथ-2 दूसरी संस्कृतियों, प्राकृतिक नियमों का ज्ञान कराये तथा उनमे भाषायी ज्ञान एवम् अन्य कौशलों को विकसित कर सके ज्योंकि आधिगम तथा व्यक्तिगत विकास और सृजनात्मकता का आधार है।

कार्य का सम्पादन उचित प्रकार से विशिष्टता के साथ किया जा सके। यद्यपि कुछ अपवाद है, जहाँ पर कार्य बिल्कुल खुले होते हैं जैसा कि प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में।

शिक्षक - शिक्षा की आवश्यकता :—

किसी कार्य विशेष एवं व्यवसाय में प्रभावी कार्य के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन के प्रशिक्षण के उपरान्त किसी व्यवसाय मे नियुक्त किया जाता है, तो वह व्यवसाय के लिए योग्य सिद्ध होता है। इसी प्रकार शिक्षण कार्य के लिए अध्यापक प्रशिक्षण या शिक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि अध्यापक राष्ट्र निर्माण के लिए भावी नागरिक तैयार करता है। अध्यापक शिक्षा की आवश्यकताएं :—

कार्य को सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से शिक्षा को सम्पादित करने के लिए। ~~यह आ~~

बाल मनोविज्ञान का ज्ञान:-

अध्यापन कार्य वही कर सकता है जिसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो तथा जो विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर, रुचियाँ तथा दृष्टिकोण का बारीकी से ज्ञान रखता है। आधुनिक युग में केवल विषय का ज्ञान किसी अध्यापक के लिए सफलता की सीढ़ी नहीं हो सकता है। अध्यापक के लिए जरूरत होती है कि उसे बालकों की विभिन्न विकास अवस्थाओं की आवश्यकताओं का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले निम्न बातों का ज्ञान होना आवश्यक है-

1. बालक के सीखने का ढंग क्या है?
2. बालक को किस प्रकार पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया जाये?
3. बालकों को इस तेजी से बदलते समाज में किस तरह कुण्ठाओं से बचना है?
4. बुनियादी इच्छाओं के उदात्तीकरण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है।
5. कौन-2 से साधन बालक को कक्षा में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होंगे।
6. कौन-2 से साधन बालकों को सीखाने की प्रक्रिया में सहायक होंगे?

2. अधिगम - शिक्षण का ज्ञान :-
अध्यापक शिक्षा अध्यापकों को अधिगम-शिक्षण के सिद्धान्तों तथा शैलियों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इससे उसे सामूहिक रूप से अपना कार्य करने में सहायता प्राप्त होती है। उसके साथ-2 वह शिक्षा में सहायक सामग्रियों का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं।

3. निर्देशन को संगठित करने का ज्ञान :-
अध्यापक शिक्षा अध्यापकों को विद्यालय में किस प्रकार सफल निर्देशन देना है इस बात के लिए सहायता करती है। जिसके आधार पर अध्यापक सफलतापूर्वक निर्देशन कार्यक्रमों को संगठित कर लेते हैं।

4. शिक्षण में आकर्षण पैदा करना :-
यदि अध्यापक कुशल है तथा उसने पूर्ण रूप से शिक्षण प्राप्त किया है तो वह नीरस लगने वाले शिक्षण कार्य को अपनी प्रतिभा से आकर्षक बना देता है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी उसमें रुचि लेने लग जाते हैं और अध्यापक को अपने उद्देश्यों में सफलता मिल जाती है।

5 पाठ्य-सहायक क्रियाओं के गहन का ज्ञान :- अध्यापक शिक्षा अध्यापकों को विभिन्न पाठ्य-सहायक क्रियाओं को निरीक्षित करने तथा उनमें भाग लेने में सहायता प्रदान करती है।

6 अध्यापक का सर्वांगीण विकास करती है :- अध्यापक शिक्षा अध्यापक के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक योग्यताओं का विकास कर उसे सम्पूर्ण अध्यापक बनाने में सहायता करती है।

अध्यापकों में व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक गुणों के नाम पर निम्न विशेषताएं होनी चाहिए -

1 अध्यापक के व्यक्तिगत गुण :- साफ प्रवृत्तियां, प्रेरणाप्रदर्शित, उदारवादी दृष्टिकोण, अच्छी आदतें आदि इस श्रेणी में आते हैं।

2 बौद्धिकता :- बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान, विनोदप्रियता, निर्णय शक्ति आदि।

3 व्यावसायिक आवश्यकताएँ :- विद्यार्थी के मनोविज्ञान, शिक्षण कला, शिक्षण विधियों के उद्देश्य एवं शिक्षण सामग्री का पूरा ज्ञान होना।

4 सामाजिक समायोजन :- सामाजिक नैतिक व्यवहार तथा दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाना आदि।

5 सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि :- विषय-वस्तु, सामान्य बातों तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक है।

भारत में अध्यापक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास कोठारी आयोग रिपोर्ट (1964-66)

Q. ~~अध्या~~ भारत में अध्यापक शिक्षा में ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए।

अथवा

अध्यापक शिक्षा के विकास के बारे में कोठारी आयोग (1964-66) ने क्या कहा है? वर्णन करें।

उ० परिचय :-

स्वतंत्रता के बाद भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास तेज गति से हुआ है। विभिन्न आयोगों तथा नई शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा के विकास पर जोर दिया है।

अध्यापक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव :-

अध्यापक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव इस प्रकार हैं:-

1 दो प्रकार की संस्थाएँ :-

अध्यापक प्रशिक्षण के लिए मना दो प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए —

1 स्नातकों के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए

2 जो हाई-स्कूल या हायर-सेकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, के लिए दो वर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

2 व्यवहारिक शिक्षण :- Practical Teaching

व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन उसमे अन्दर केवल शिक्षण अभ्यास निरीक्षण तथा आलोचना का समावेश ही नहीं अपितु इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का शिक्षण विद्यार्थी सभाओं का गठन तथा पुस्तकालय संबंधी अध्ययन पीरियड की व्यवस्था करना आदि शामिल होना चाहिए।

(In-Service Training)

3. सेवा-कालीन प्रशिक्षण :-
प्रशिक्षण महाविद्यालयों को निम्न क्रियाओं के आयोजन द्वारा सेवा-कालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए
1. अभिनव-कोर्स 2. विशिष्ट विषयों में लघु-कोर्स
3. कार्यशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण व सेमिनार तथा वृत्तिक सम्मेलन

4. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं पर नियन्त्रण :-
स्नातक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत तथा उनके साथ जुड़ी होनी चाहिए।

5. पाठ्य-सहायक क्रियाओं में प्रशिक्षण होना चाहिए

6. प्रवेश तथा पाठ्यक्रम की अवधि से पहले अध्यापकों की तैयारी होनी चाहिए।

7. शिक्षण प्रशिक्षण व्यावसायिक का होना जरूरी है।

8. प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा शिक्षण में अनुसंधान होना चाहिए।

9. प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं से संबंध होना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा पर भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव :— "कोठारी आयोग"

अध्यापक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा — "शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम आवश्यक है।" अध्यापक शिक्षा के संबंध में 'कोठारी आयोग' ने अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया तथा अनेकवाद इस शिक्षा के सुधारों के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किये।

1 अध्यापक शिक्षा के दोष: (Defects of Teacher education)

(1) प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न अथवा साधारण दर्जे का है।
2. प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में नवीनता सजीवता तथा वास्तविकता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
3. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने वाले अधिकतर प्रशिक्षण परम्परागत है।
4. प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले योग्य अध्यापकों की कमी
5. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का इन विद्यालयों के दैनिक जीवन तथा विश्वविद्यालय से किसी भी तरह का कोई लेना-देना नहीं है।

: अध्यापक शिक्षा की त्रुटियों को दूर करने के उपाय :—

1 अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अन्त :—

'कोठारी आयोग' ने कहा—
अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक तरफ विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से तथा दूसरी तरफ विद्यालय-जीवन एवं शिक्षण सम्बन्धी नवीनतम विचारों के सम्पर्क में लाया जाना अति आवश्यक है।

I विश्वविद्यालय जीवन से अध्यापक शिक्षा की पृथकता को दूर करना
1 शिक्षा का अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करना।
2 शिक्षा के विद्यालयों की स्थापना करना।

II विद्यालयों से अध्यापकों की पृथकता को दूर करना।

1 विस्तार कार्यों का पुनर्गठन
2 कार्यरत अध्यापकों का तबादला।
3 पुराने विद्यार्थियों से संघों की स्थापना।
4 चुने गए विद्यालयों के सहयोग से शिक्षण अभ्यास गठित करना।

III संस्थाओं की परम्परागत एकरूपता को दूर करना।—

I सभी प्रशिक्षण संस्थाओं का स्तर ऊँचा करना।
II विस्तृत शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना करना।

2 चयन व्यवस्था में सुधार।—
अध्यापक शिक्षा के लिए जिन विद्यार्थियों का तथा जिन तरीकों से चयन किया जाता है, वह त्रुटिपूर्ण है चयन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए—

I उन विद्यार्थियों को योग्य माना जाना चाहिए जिन्होंने, B.A, B.Sc/B.Com में कम से कम 55% अंक अर्जित किए हों

II केवल योग्य एवं इच्छुक विद्यार्थियों का ही चयन होना चाहिए।

III दाखिला देने से पहले विद्यार्थियों के रुझान, रुचि तथा दृष्टिकोण को जानने के लिए एक साक्षात्कार रखा जाना चाहिए ताकि योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल सके।

3 आवश्यकता के हिसाब से प्रवेश लेने चाहिए।
4 क्षमतावान अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए।
5 व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक जोर देना चाहिए।
6 पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा मूल्यांकन की विधियों में सुधार करना चाहिए।
7 सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।
8 अनुसंधान कार्य तथा प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चाहिए।
9 अध्यापक शिक्षा के संयुक्त महाविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए।
10 ट्यूशन शुल्क की छूट होनी चाहिए।
11 अंशकालिक सुविधाएँ होनी चाहिए।
I पत्राचार शिक्षा — Correspondence Education
II अंशकालिक कोर्स — Part-time Course

अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग के सुझाव:-

1 अध्यापक शिक्षा में खाई को दूर करना:-
अध्यापक शिक्षा को विश्वविद्यालय एवं विद्यालय से पृथकता को समाप्त करने के लिए कोठारी आयोग ने बहुत से सुझाव दिये। आयोग ने कहा, "शिक्षा को स्वतन्त्र रूप से एक विषय मानना चाहिए। उपस्नातक स्तर पर इसे

एक इलैक्टिव विषय के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए।"

2 अध्यापक शिक्षा के स्तर में सुधार :-
अध्यापक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए आयोग ने जो सुझाव दिए वे निम्न है।
I अध्ययन विधियों में सुधार किया जाना चाहिए।
II अध्यापकों को विषय ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए
III मूल्यांकन में नई तथा आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग।
IV छात्र शिक्षण में व्यापक सुधार।
V पाठ्यक्रम को दोहराया जाए तथा यदि उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो पहले सुधार किया जाए।

3 नए अध्यापकों को प्रोत्साहन :-
आयोग के अनुसार शिक्षा विभाग का यह नैतिक कर्तव्य है कि जिन व्यक्तियों की नई नियुक्ति होती है, उन्हें प्रशिक्षण संस्थाओं के वातावरण को समझाने में सहायता करनी चाहिए।

4 अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना :-
अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आयोग ने सलाह दी कि U.G.C, NCERT तथा विभिन्न संगठनों और विद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

5. विभिन्न स्तरीय की पृथकता को दूर करना चाहिए।
6. प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार को लेकर भी आयोग ने सुझाव दिए हैं।
7. विद्यालय अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
8. उच्चतर शिक्षा के अध्यापकों की व्यवसायिक तैयारी के लिए भी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिये हैं।

Q 2. अ

Q. अध्यापक शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

Ans अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य:-
आज अध्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज उपयोगी व प्रभावशाली अध्यापकों को तैयार करना है।
1. अध्यापक को भिन्न-2 प्रचलित तथा आधुनिकतम विधियों से अवगत कराना।
2. अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान देना।
3. कक्षा प्रबन्ध तथा शिक्षण सिद्धान्तों की जानकारी मुहैया करवाना
4. छात्रों की निजी समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करना।

5 अध्यापक को अपने दर्शन निर्माण के साथ-2 विभिन्न-2 दर्शनों का ज्ञान देना।
6 श्यामपट्ट लेखन तथा चित्रण में अध्यापकों को दक्ष करना।
7. उन्हें पाठ संबंधी विषय-वस्तु की योजना बनाने का ज्ञान देना।
8 श्रेणी स्तर के आधार पर ज्ञान देने की योग्यता पैदा करना।
9. विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं के संगठन, पर्यवेक्षण और अभिलेख लेने के लिए अध्यापकों की सहायता करना।
10. छात्रों खासतौर से किशोरों की आयुवृद्धि और प्रक्रिया के प्रति अध्यापकों की जानकारी बढ़ाना।
11 विभिन्न-2 विधियों द्वारा छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना सिखाना।
12 शैक्षिक सामग्री का सही इस्तेमाल सिखाना।
13. छात्रों की प्रकृति के प्रति सूझ का विकास करने के लिए अध्यापकों की सहायता करना।
14. विद्यालय में अध्यापक को, विभिन्न-2 कर्तव्यों को निभाना है, इस बात का ज्ञान देना।

Sem = II
Paper - IV
Unit - II

Q. पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के सम्प्रत्यय का वर्णन कीजिए
अथवा

पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करते हुए इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

अथवा

पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना कीजिए।

उत्तर परिचय:-
शिक्षा व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व अध्यापक जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कहा जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही शिक्षा व्यवसाय को अपनाने के इच्छुक व्यक्ति ही शिक्षण कार्य के योग्य समझे जाते हैं। इसलिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर के अध्यापकों को शिक्षा कार्य में आने से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है।

परिभाषाएं :-

1 प्रो. एस. एन. मुखर्जी के अनुसार :- "विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में सुधार की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु अध्यापक शिक्षा एक बेहतर शब्द है, क्योंकि यह अध्यापक निर्माण संबंध क्षेत्र में निपुण बनाती है।" 1

2 प्रो. हुमायुं ने कहा है कि - "अध्यापक के बिना सर्वोत्तम प्रणाली भी समाप्त हो जाती है। अच्छे अध्यापकों के साथ प्रणाली के दोषों को दूर किया जा सकता है।" 2

3 अध्यापक शिक्षा आयोग के अनुसार :- "शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। अध्यापक शिक्षा के संबंध में आयोग ने पहले शिक्षक के दोषों का उल्लेख किया है।" बाद में दोषों के निराकरण के लिए सुझाव दिया। 3

4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार :- अध्यापक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण निवेश है।" 4

पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need of Pre-Service teaching education)

1. बच्चे के विषय में ज्ञान :-
अध्यापकों को विद्यार्थियों की पारिवारिक वातावरण, समस्याएँ और रुचि को ध्यान में रखते हुए बाल केन्द्रित रूप में शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए।

2. मनोविज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता :-
~~मनोविज्ञान~~ अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना बच्चों की रुचियों, भावनाओं मूल प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं को समझने में असमर्थ होता है।

3. अधिगम शिक्षण का ज्ञान :-
अध्यापक शिक्षा अध्यापक को अधिगम शिक्षण सिद्धांतों, शैलियों एवं प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करती है।

4. निर्देशन को संगठित करने का ज्ञान :-
प्रशिक्षित अध्यापक संस्था और अधिकारियों के दिशा-निर्देशन के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित करता है।

5 विषय का ज्ञान :- प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ाने जाने वाले पाठ की पूर्व तैयारी करके, उदाहरण देकर पाठ को स्पष्ट और सरल बनाने का प्रयास करता है।

6 सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था :- सुनियोजित शिक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य है, शिक्षा संबंधी समस्याओं, रुकावटों को समझकर और व्यवहारिक पक्षों को सुनियोजित करके शिक्षा देना अध्यापक के लिए उत्तम व्यवस्था है।

7 मूल्यांकन विधियों का ज्ञान :- शिक्षित अध्यापक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अर्धवार्षिक, वार्षिक लिखित और मौखिक निरन्तर व्यापक मूल्यांकन पद्धति से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में लगनशील रहता है। इसलिए अध्यापकों के लिए पूर्व शिक्षा नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

Unit -3

अध्यापक शिक्षा का प्रबन्धन: इक्कीसवीं शताब्दी में चुनौतियाँ

Managing Teacher Education: challenge in 21st century

प्र०। अध्यापक शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अध्यापक शिक्षा की त्रुटियों से दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भूमिका:-

वर्तमान में जो अध्यापक शिक्षा का रूप देश में प्रचलित है उसमें कई प्रकार की कमियां हैं जिसका परिणाम यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने अधिक प्रयास होने के बावजूद भी शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन सुधरने की बजाए गिरता जा रहा है। अगर समय रहते इन त्रुटियों को दूर नहीं किया गया तो देश उन्नति के शिखर की बजाए रसातल में चला जाएगा क्योंकि किसी भी राष्ट्र की तरक्की या उन्नति उसकी शिक्षा प्रणाली पर आधारित होती है।

अध्यापक शिक्षा में मुख्य रूप से पाई जाने वाली चुनौतियां निम्नलिखित हैं:—

(1) गलत व्यक्तियों का चुनाव :-

हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ ज्यादातर व्यक्ति अपनी अपसन्द के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। शिक्षण क्षेत्र इसमें अपवाद नहीं है। जिस समय शिक्षक-अध्यापक के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहिए इन प्रशिक्षण संस्थाओं में उन विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जाता है जो न तो योग्यता के आधार पर क्षीण होते हैं और न ही जिनकी इस क्षेत्र में रूचि होती है। इनमें से ज्यादातर वे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें कहीं और दाखिला नहीं मिलता।

2. प्रशिक्षण संस्थानों की पृथकता :-

प्रचलित अध्यापक शिक्षा प्रणाली में यह एक बड़ी समस्या है कि एक तरफ तो अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालयों से हैं और दूसरी तरफ विद्यालयों से। इनका एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह अध्यापक शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष है।

3. उच्च स्तरीय अध्यापकों की कमी :-

यदि गम्भीरता पूर्वक आँकलन किया

जाए तो हम पाएँगे कि देश में सदैव ही प्रशिक्षण संस्थाओं में उच्च स्तरीय अध्यापकों की कमी रही है। निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए तो बढ़िया तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की विशेष जरूरत होती है। आरम्भ में बच्चे का दिमाग एक साफ तख्ती की तरह होता है। परन्तु देश की विडम्बना ही है कि प्राईमरी तथा सैकेण्डरी स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों का स्तर बहुत ही निम्न स्तर यानी दोयम दर्जे का होता है। देश की शिक्षा प्रणाली को वांछित सफलता न मिलने का यह भी एक कारण है।

1. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का दोषपूर्ण होना :—

वर्तमान समय विज्ञान का समय है। यहाँ हर दिन नए-नए आविष्कार होते हैं। शिक्षा का क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। ऐसे में केवल वे देश ही अपना अस्तित्व बचा पाएंगे जो अपने को इन बदलावों के साथ बदल लेते हैं। परन्तु भारत इस विषय में अपवाद है। एक तो हम इक्कीसवीं सदी में जाने की डींगे हांकते हैं दूसरी ओर जिन शैक्षणिक साधनों पर चढ़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं वे अत्यन्त प्राचीन एवं त्रुटियों से परिपूर्ण हैं।

5. आवश्यक सुविधाओं की कमी :-
अध्यापक शिक्षा की असफलता का एक कारण आवश्यक सुविधाओं की कमी का भी होना है। मुख्य रूप से आर्थिक कमी के कारण प्रशिक्षण संस्थाओं में पूरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं।

6. अनुसंधान कार्य तथा प्रकाशन की कमी :-
देश में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए तथा उनके प्रकाशन के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है और यह सर्व विदित है कि जब तक नए प्रयोगों के प्रकाशन की सुविधा नहीं होगी तब तक अध्यापक शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं उठाया जा सकता।

7. जरूरत से ज्यादा अध्यापकों को प्रशिक्षण :-
जरूरत से ज्यादा अध्यापकों को प्रशिक्षण देना भी अध्यापक शिक्षा का मुख्य दोष है। देश की आजादी के बाद अध्यापकों की कमी को पूरा पूरा करने के उद्देश्य से अध्यापकों की संख्या पर ज्यादा जोर दिया गया। इसका परिणाम यह निकला की डिग्री प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों की एक फौज तैयार हो गई

जिसे सरकार द्वारा नौकरी मुहैया करवाना एक बड़ी समस्या बनकर सामने उभरी।

8. व्यवहारिक कार्य की अनदेखी :-
अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा सैद्धान्तिक ज्ञान पर ज्यादा बल दिया जाता है। व्यावहारिक कार्य या शिक्षण अभ्यास कार्य या शिक्षण अभ्यास कार्य केवल खानापूर्ति के रूप में ही किए जाते हैं। छात्राध्यापक Pupil Teacher पाठ योजना बनाकर लाते हैं, परन्तु पर्यवेक्षक उनका निरीक्षण या तो करता ही नहीं और यदि करता है तो केवल खानापूर्ति के लिए। इसके अतिरिक्त इन छात्राध्यापकों की कमियों को दूर करने के लिए अलग से शिक्षण कौशलों की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

अध्यापक शिक्षा की त्रुटियों को दूर करने के उपाय

- अध्यापक शिक्षा की न्यूनता को दूर करना :-
अध्यापकों के व्यावसायिक

प्रशिक्षण को ज्यादा सफल बनाने के लिए अध्यापक शिक्षा को विश्व विद्यालयी शिक्षण प्रणाली से जोड़ना होगा तथा शिक्षा विकासों के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:-

क विद्यालयों से अध्यापक शिक्षा की पृथकता को दूर करना:-

1 विस्तार कार्यों का पुनर्गठन:-
सम्पूर्ण सफलता के लिए विस्तार कार्य को अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का आवश्यक अंग बनाना चाहिए।

2 कार्यरत अध्यापकों का तबादला:-
सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं प्राध्यापकों का एक-दूसरे प्रशिक्षण संस्थाओं में तबादला होता रहना चाहिए ताकि अध्यापक भिन्न-भिन्न स्थितियों तथा वातावरण में अपने को उपयुक्त बनाना सीख सके।

3 पुराने विद्यार्थियों के संघों की स्थापना:-
जो विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा पूरी

करके चले जाते हैं, उनसे सकारात्मक सहायता प्राप्त करने के लिए एक संघ की स्थापना की जानी चाहिए।

5 चुने गए विद्यालयों के सहयोग से शिक्षण अभ्यास गठित करना :-

अध्यापक वर्ग के शिक्षण अभ्यास के लिए कुछ विशेष विद्यालयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होना चाहिए तथा उन विद्यालयों को शिक्षा विभाग की ओर से विशेष अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ख) विश्वविद्यालय जीवन से पृथकता को दूर करना :-

जिस प्रकार से महाविद्यालयों में दूसरे विषयों को पढ़ाया जाता है, वैसे ही शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय स्तर ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता है तो अध्यापक शिक्षा को विश्वविद्यालय के जीवन से पृथकता को दूर किया जा सकता है।

(ग) संस्थाओं की परम्परागत पृथकता को दूर करना :-

शिक्षा के भिन्न-2

स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं तथा विशेष क्षेत्रों जैसे - क्राफ्ट आर्ट तथा शारीरिक शिक्षा आदि का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की पृथकता को दूर करने के लिए क्रमशः सभी पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के स्तर को ऊपर उठाकर महाविद्यालय स्तर तक ले जाना चाहिए तथा इन्हें अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालयों के अधीन कर देना चाहिए।

2. चयन व्यवस्था में सुधार :-
चयन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए

(1) अध्यापक शिक्षा के लिए केवल उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य माना जाना चाहिए जिन्होंने B.A/B.Sc/B.Com स्तर पर कम से कम 55% अंक अर्जित किए हो।

(2) केवल योग्य एवं इच्छुक विद्यार्थियों का ही चयन होना चाहिए।

3 जो विद्यार्थी स्नातक स्तर पर 'शिक्षा' को एक वैकल्पिक विषय

के रूप में पढ़ते हैं उन्हें प्रवेश के समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3 आवश्यकता के हिसाब से प्रवेश :- अध्यापक प्रशिक्षण स्तर को यदि शिक्षा विभाग तथा सरकार वास्तव में ऊपर उठाना चाहती है तो उन्हें एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसके तहत केवल उतने ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाए जितनी आवश्यकता होती है।

4 क्षमता वान अध्यापकों की नियुक्ति :- अध्यापक शिक्षा की गरिमा बढ़ाने तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए कुशल एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

5 व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक जोर :- व्यावहारिक ज्ञान को व्यापक बनाने के लिए पुस्तकालय सम्बन्धी ज्ञान समय-सारिणी का निर्माण, विद्यार्थी सभाओं का गठन रजिस्टर आदि तथा पाठ्यक्रम के विभाजन आदि

को अच्छा सिखाना चाहिए। यह उनके बहुमुखी विकास करने में सहायक है।

6. सुविधाओं की व्यवस्था :-
अध्यापक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया है।

7. पाठ्यक्रम, शिक्षण तथा मूल्यांकन की विधियों में सुधार :-
अध्यापक प्रशिक्षण को रोचक बनाने तथा सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उन शिक्षण विधियों का प्रयोग में लाना चाहिए जो राष्ट्र स्तर पर ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्याधुनिक हों।

8. अनुसंधान कार्य तथा प्रकाशन को प्रोत्साहन :-
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है इसमें भी समाज की तरह सतत परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए अनुसंधान द्वारा भी शिक्षण में नए-2 ढंगों का प्रयोग करना चाहिए।

9. अध्यापक शिक्षा के संयुक्त महाविद्यालयों की स्थापना :
अध्यापक शिक्षा के शैक्षणिक वातावरण को प्रेरणादायक बनाने के लिए सभी स्तर के अध्यापकों के शिक्षण की व्यवस्था एक ही संस्था में होनी चाहिए।

10. अंशकालिक सुविधाएँ :
शिक्षा विभाग तथा सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि बिना पूर्णकालिक संस्थाओं के स्तर को गिराए अध्यापकों के लिए अंशकालिक सुविधाओं की व्यवस्था हो जाए।

(7) पत्राचार शिक्षा (Correspondence education)
(8) अंशकालिक कोर्स (Part-time courses)

अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग के सुझाव :
कोठारी कमीशन (1964) द्वारा अध्यापक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

① आयोग ने कहा है कि "शिक्षा को स्वतन्त्र रूप से एक विषय मानना चाहिए। उपस्नातक स्तर पर इसे एक इलेक्टिव विषय के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए।" 6

प्रशिक्षण संस्थाओं की आपस में एक-दूसरे से पृथकता को दूर करने के लिए आयोग ने कहा कि सर्व प्रथम शिक्षा विभाग को विस्तृत तथा व्यापक महाविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य बोर्ड गठित किए जाएँ जहाँ अध्यापक शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें परीक्षाओं के सम्बन्ध में तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता के लिए आवश्यक शर्तों को निर्धारित किया जाए। 5

② अध्यापक शिक्षा के स्तर में सुधार :-

① अध्ययन विषयों में सुधार किया जाना चाहिए
2 अध्यापकों को विषय ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए
3 मूल्यांकन में नई तथा आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग 5
4 छात्र शिक्षण में व्यापक सुधार
5 पाठ्यक्रम को दोहराया जाना चाहिए और यदि उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो पहले सुधार किया जाए। 1

6 विशेष कोर्सों में विकास कर उन्हें लागू करना।
7 व्यावसायिक अध्ययनों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।

3 नए अध्यापकों को प्रोत्साहन :- आयोग के अनुसार शिक्षा विभाग का यह नैतिक कर्तव्य है कि जिन व्यक्तियों की नई नियुक्ति होती है उन्हें प्रशिक्षण संस्थाओं के वातावरण को समझने में सहायता करनी चाहिए।

4 अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना :- अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आयोग ने सलाह दी कि यू.जी.सी. को एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करना चाहिए। इस कमेटी का मुख्य कार्य अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के विकास और सुधार में सहयोग देना है।

5 विभिन्न स्तरीय संस्थाओं की पृथकता को दूर करना :- प्रशिक्षण संस्थाओं की आपसी पृथकता को दूर करने के लिए कोठारी आयोग ने विस्तृत सुझाव दिए वे निम्नलिखित हैं—

(1) वेतन में वृद्धि के साथ-साथ आयोग ने रूस तथा जर्मनी की शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखते हुए पी-प्राइमरी तथा प्राइमरी अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं को ऊपर उठाने की ओर देकर सिफारिश की।

(2) आयोग ने विस्तृत व्यापक महाविद्यालयों की स्थापना पर भी जोर दिया।

(3) अध्यापक शिक्षा के लिए आयोग ने राज्य बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया। इन बोर्डों का कार्य अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें परीक्षाओं के सम्बन्ध में तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता के लिए आवश्यक शर्तों आदि को निर्धारित करना है।

6 प्रशिक्षण संस्थाओं का आकार :-
प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार को लेकर भी आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं जो निम्नवत हैं।
(1) प्राइमरी स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या निम्नतम 240 होनी चाहिए।
(2) प्राइमरी शिक्षा के लिए 2वर्षीय कोर्स का विधान हो।

3 सैकेण्डरी स्तर के विद्यार्थियों की संख्या 20 तक होनी चाहिए।

अध्यापकों के लिए व्यवहार संहिता :- अन्नामलाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नटराजन ने भारतीय समाज में अध्यापकों के लिए व्यवहार संहिता कुछ इस प्रकार से निश्चित की है :-

I अध्यापक अपने व्यवसाय के स्वीकरण और सम्मान को सुरक्षित रखेगा।

II प्रत्येक अध्यापक यह सम्पूर्ण प्रयास करेगा कि वह गैर-शिक्षण गतिविधियों तथा राजनैतिक आन्दोलनों में हिस्सा लेने से बचे।

III. कोई भी अध्यापक ऐसा आचरण न करे जिससे व्यवसाय पर आँच आए।

IV प्रत्येक अध्यापक अपनी क्षमतानुसार जनसेवा करेगा।

V प्रत्येक अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी संस्कृति के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत करने का प्रयास करे।

VI अध्यापक, केवल कानूनी माध्यमों का ही प्रयोग करें यदि उसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है।

VII अध्यापक को अपने शिक्षकों के प्रति स्थापित व्यावहारिक ढांचे में रहकर ही कार्य करना होगा।

VIII कोई भी अध्यापक अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों की सहायता नहीं ले सकता है।

Problems and Issues in Teacher Education

प्र० भारत में अध्यापक - शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ कौन - कौन सी है

अथवा

भारत में अध्यापक शिक्षा की समस्याओं की विवेचना कीजिए।

उ० भूमिका :-

भारत में अध्यापक शिक्षा में अपेक्षित उन्नति नहीं हो सकी है। स्वतन्त्रता के बाद सभी स्तरों पर अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में वृद्धि अधिक तेजी से हुई है। इसके कई कारण रहे हैं जिससे अध्यापक - शिक्षा संस्थाओं में गुणात्मक विकास नहीं हो सका है।

कोठारी आयोग (1964-66) ने अध्यापक शिक्षा की समस्याओं पर विस्तार से विचार किया और अनेक सुधार के सुझाव भी दिये हैं। इस आयोग ने विशेष रूप से अलगाव / एकाकीपन की समस्या का उल्लेख विस्तार में किया है।

1 अलगाव / पृथकता की समस्या :-

भारत में अध्यापक शिक्षा में विभिन्न स्तरों के अध्यापक एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। वे अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। प्राथमिकता, माध्यमिक तथा कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों में किसी प्रकार सहयोग नहीं होता जबकि सभी स्तरों के अध्यापकों का सम्बन्ध शिक्षा की प्रक्रिया सम्पादित करना होता है। सभी का एक ही उद्देश्य होता है। यदि सभी स्तरों में अध्यापक शिक्षा-समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करें तो कोई प्रभावशाली समाधान दे सकते हैं। यही प्रवृत्ति भारतीय आयोग समितियों की रही है, जैसे प्राथमिक माध्यमिक (मुदालियर) विश्वविद्यालय (राधाकृष्णन) के लिए सुझाव दिये हैं, परन्तु कोठारी आयोग सभी स्तरों के सुझाव में एकीकरण किया है।

इसी प्रकार प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों में भी कोई सम्बन्ध नहीं होता है। इसका परिणाम यह प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में कोई क्रम तथा साम्य नहीं होता है। पाठ्यक्रम

में पुनरावृत्ति होती है।

प्रशिक्षण-संस्थाओं के अध्यापकों तथा विद्यालयों के अध्यापकों में भी कोई साम्य और सम्बन्ध नहीं पाया जाता है जबकि प्रशिक्षण-संस्थाओं का मुख्य कार्य है इन विद्यालयों के लिए अध्यापक तैयार करना। इन प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण विधियों में और विद्यालय शिक्षण विधियों में साम्य नहीं होता है।

शिक्षा के गुणात्मक विकास और उन्नति में अध्यापक शिक्षा की अलगाव समस्या महत्वपूर्ण घटक है। समस्या तीन प्रकार से अध्ययन की जा सकती है।

1) विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव :- Isolation from University life

इस अलगाव से तात्पर्य है कि प्राथमिक माध्यमिक स्तर के अध्यापकों का विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। अपने-अपने स्तर पर सभी अपने-2 क्षेत्र में कार्य करते हैं और उन्हीं से सम्बन्ध रखते हैं इस अलगाव

के कारण एक दूसरे की शैक्षिक समस्याओं की जानकारी नहीं रहती है। प्रशिक्षण संस्थायें भी अपना पृथक रूप रखती हैं।

अध्यापक - शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं से इस अलगाव अथवा एकाकीपन को दूर करना बहुत आवश्यक है। इससे शिक्षा की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सकती है।

(1) शिक्षा पैडागॉजी (विधि विज्ञान) से भिन्न है। शिक्षा एक अध्ययन का स्वतन्त्र अनुशासन है। इसका एक स्तर एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

2 शिक्षा विभागों की स्थापना इसलिए की जाती है, जिससे विश्वविद्यालय स्तर - अध्यापक-शिक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जा सके। अन्य विश्वविद्यालय के विषय से सहयोग द्वारा शोध कार्यों का आयोजन किया जाये जिससे अन्तर्विषयक आयाम को बढ़ावा दिया जा सके। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय स्तर पर अलगाव की समस्या का समाधान किया जा सके।

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की प्रशिक्षण संस्थायें माध्यमिक स्तर के लिए अध्यापक तैयार करती है परन्तु अन्य विभाग शिक्षण विभाग की उपेक्षा करते हैं। प्रशासक भी शिक्षा विभाग की अवहेलना करते हैं। उनको अन्य महाविद्यालयों के विभाग से पृथक मानते हैं। यह दृष्टिकोण इसके विकास में बाधक रहता है। अध्यापकों को वे सुविधाएं नहीं मिलती जो अन्य विभागों के अध्यापकों को दी जाती है।

शिक्षा विषय को शैक्षिक विषय में भी सम्मिलित करना चाहिए उसकी शिक्षा प्रत्येक विश्वविद्यालय की उपाधि कक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाती है। शिक्षा को व्यावसायिक रूप में सम्मिलित करने और अन्तः विषयक आयाम को बढ़ावा देने से विश्वविद्यालय स्तर अध्यापक शिक्षा के अलगाव की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

2 अध्यापक शिक्षा का विद्यालयों से अलगाव :- इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण विभागों का स्कूलों से अलग जीवन। प्रायः यह देखने में आता है कि प्रशिक्षण - विभागों की

अध्यापन-विधि तथा स्कूलों की शिक्षण विधियों में कोई समानता नहीं होती है। प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रयुक्तताओं और विद्यालयों के अध्यापकों के मध्य भी कोई सम्पर्क नहीं होता है। इस दिशा में आयोग ने संकेत किया है।

इस अलगाव को दूर करने के लिए एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा प्रसार सेवा केन्द्र स्थापित किये हैं। केन्द्रों ने माध्यमिक स्तर पर सराहनीय कार्य किया है।

(1) अध्यापक-शिक्षा संस्थाओं का प्रमुख कार्य प्रसार कार्य होना चाहिए। इसके लिए प्रसार सेवा विभाग की स्थापना करनी चाहिए। प्राथमिक, पूर्व-प्राथमिक माध्यमिक स्तर के लिए प्रसार सेवा कार्य हो। दूसरे एकीकरण किया जा सके।

2. पुराने छात्रों की एक प्रभावशाली एसोशियेशन होनी आवश्यक है जिसकी सभाओं में योजनाओं, पाठ्यक्रमों तथा नवीन प्रयोगों एवं आयोगों के सम्बन्ध में वाद-विवाद का आयोजन किया जाए।

3. शिक्षण - अभ्यास के समय सहयोगी विद्यालयों के अध्यापकों के साथ मिल - जुलकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। उन सहयोगी विद्यालयों को विशिष्ट अनुदान तथा साधनों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

4. सहयोगी विद्यालयों के अध्यापकों में अंशकालिक अदल - बदल करनी चाहिए। इस प्रकार आयोजन अध्यापक - शिक्षा संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए।

शिक्षण - अभ्यास से पूर्व प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष को विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा सहयोगी अध्यापक और प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रवक्ताओं की गोष्ठी होनी चाहिए जिसमें ऐसा समाधान ढूंढा जाय जो प्रशिक्षण तथा विद्यालय की प्रशिक्षण विधियों में साम्य स्थापित किया जा सके।

अध्यापक - शिक्षा संस्थाओं के अलगाव को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए विभिन्न स्तरों की अध्यापक - शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट क्षेत्रों - कला, आर्ट, शारीरिक शिक्षा आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

① सभी प्रशिक्षण संस्थाओं के स्तर को बढ़ाकर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर तक ले जाना चाहिए। तभी इस योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है। अन्तिम लक्ष्य अध्यापक शिक्षा का यही होना चाहिए।

2. प्रत्येक प्रदेश में व्यापक - शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। सभी स्तरों के प्रशिक्षण के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम इन महाविद्यालयों का होना चाहिए।

3. प्रत्येक प्रदेश में अध्यापक - शिक्षा 'स्टेट बोर्ड' होना चाहिए जिसका उत्तरदायित्व सभी स्तरों के अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना होना चाहिए

प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों तथा विभागों के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों में परस्पर सहयोग तथा सम्पर्क स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करना भी आवश्यक है।